आ0सं0:–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–02/2023........................दिनांक–

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, Dist-Muzaffarpur (Bihar) द्वारा मंडल कारा, सीतामढ़ी में 198 क्षमता के अतिरिक्त पुरूष बंदी कक्ष के निर्माण की निविदा में EMD की राशि, टेंडर फी एवं प्रोसेसिंग फी के संबंध में गलत सूचना देने के कारण मुख्य अभियंता(उत्तर) के पत्रांक–65 दिनांक–09.01.2023 द्वारा संवेदक पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी एवं पत्रांक–1784 दिनांक–26.07.2023 से संवेदक, अमित कुमार सिंह के द्वारा श्री रवि चन्द, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंछल, मुजफ्फरपुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली–गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना दी गयी है । साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा नगर थाना, मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है ।

तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक में इस पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दस वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–6103 दिनांक–27.07.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या–6162 दिनांक–28.07.2023 द्वारा संवेदक के निबंधन को दस वर्षो के लिए निलंबित किया गया है ।

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-12326 of 2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:–

" The principle laid down in the aforementioned decision is not forthcoming in the Show Cause Notice and final orders. On this count, petitioner has made out a case in setting aside the impugned order dated 28.07.2023. Accordingly the impugned order dated 28.07.2023 stands set aside reserving liberty to the concerned/competent authority to proceed in accordance with law. He is hereby directed to issue a detailed Show Cause Notice and on receipt of petitioner's explanation proceed to pass a detailed speaking order after due consideration of each of the contention to be raised by the petitioner in his explanation to the Show Cause Notice. The above exercise shall be completed within a period of four months from the date of receipt of this order"

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–6152 दिनांक–28.07.2023 को रद्द किया जाता है ।

ह0/–
(सुधांशु शेखर राय)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–02/2023 पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपि:–संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, Dist-Muzaffarpur (Bihar) का निबंधन संख्या–BCD-Class-II-2210110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–02 / 2023......................पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–02 / 2023 9183(अ) .... पटना,दिनांक– 9/11/23

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव